शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्याः–527/नौ–7–21–11(ज)/2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1)समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(2)समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
(3)समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ दिनॉक 07 अप्रैल, 2021**

विषयः कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के नगरीय निकायों में साफ–सफाई व्यवस्था एवं विसंक्रमण की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप सभी अवगत है कि कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ ही साफ–सफाई व्यवस्था एवं विसंक्रमण की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। कोविड संक्रमण के बढ़ने की स्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में विशेष सतर्कता एवं सावधानी बरतने के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर शासनादेश निर्गत किये गये हैं। उक्त संगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के साथ ही प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर विसंक्रमण की कार्यवाही एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विशेष अभियान के दौरान पूर्व में निर्गत निर्देशों के अनुरूप विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यवाही प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में प्रभावी रूप से तत्काल सुनिश्चित की जायेः–

1. सफाई/विसंक्रमण की कार्यवाही किये जाने हेतु अभियान

- नगरीय निकायों में मुख्य बाजार, घनी बस्ती, इत्यादि को चिन्हित कर सफाई/विसंक्रमण की कार्यवाही हेतु प्रत्येक सप्ताह शनिवार एवं रविवार को व्यापार मण्डल, रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन, मोहल्ला निगरानी समिति के सहयोग से माइक्रो प्लान बनाकर विशेष अभियान चलाया जाय। उक्त हेतु नगर निकायों में कन्ट्रोल रूम भी बनाया जाय।
- निकायों में सोडियम हाईपोक्लोराईड घोल से सेनेटाईजेशन का कार्य सुनिश्चित किया जाय। उक्त के अतिरिक्त निकायों में ब्लीचिंग पाउडर, मैलाथियान डस्ट, चूना इत्यादि का नियमित छिड़काव भी सुनिश्चित कराया जाय।
- कन्टेनमेन्ट जोन के अन्तर्गत जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक घर, सार्वजनिक भवन, ड्रेन, सड़क तथा सार्वजनिक स्थलों का नियमित रूप से शत प्रतिशत सेनिटाईजेशन सुनिश्चित कराया जाय।
- कन्टेनमेन्ट जोन के अन्तर्गत स्थित घरों से प्राप्त ठोस अपशिष्ठ का निस्तारण एन0जी0टी0 एवं सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रयोग किये गये फेस मास्क, दस्ताने इत्यादि निकाय के सार्वजनिक स्थलों पर बिखरे हुये न पाये जायें।

2. मोहल्ला निगरानी समिति को सक्रिय किया जाना

- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1031/पॉच–5–2020 दिनांक 01.05.2020 (संलग्नक–1) द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में कोविड–19 के प्रसार के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समिति गठित किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिससे प्रभावी सामुदायिक सर्विलांस, सामुदायिक जागरूकता, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित किया जा सके तथा सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुॅचाया जा सके। इसके अतिरिक्त चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1116/पॉच–5–2020, दिनांक 17.05.2020 (संलग्नक–2) द्वारा मोहल्ला निगरानी समिति के कार्य एवं दायित्व के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत आवश्यकता है कि उक्त शासनादेशों के अनुसार गठित मोहल्ला निगरानी समिति को पुनः सक्रिय किया जाय।
- पूर्व की भॉति नगरीय निकाय द्वारा मोहल्ला निगरानी समिति को इन्फ्रारेड थर्मामीटर एवं पल्स ऑक्सिमीटर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- मोहल्ला निगरानी समिति द्वारा चिकित्सा विभाग उ0प्र0 शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 17.05.2020 द्वारा निर्धारित कार्य एवं दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ही 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को टीकाकरण एवं आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु जनजागरूकता अभियान चलाया गया।
- सामुदायिक सर्विलांस तथा सहयोग के लिये गठित मोहल्ला निगरानी समिति को सक्रिय किया जाय तथा उनके द्वारा दिये जाने वाले फीडबैक का प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुये उक्त के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3. विशेष प्रचार–प्रसार अभियान–

- कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा जन जागरूकता हेतु उपलब्ध करायी गयी **IEC** कन्टेन्ट्स के अनुरूप कोरोना वायरस के विषयगत बरती जाने वाली सावधानी एवं सतर्कता के बिन्दु तथा टीकाकरण हेतु आम जनमानस के मध्य विशेष रूप से प्रचार–प्रसार अभियान चलाया जाये। इस हेतु निकायों द्वारा उनके वाहनों में लगे पी0ए0 सिस्टम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय।
- नगरीय निकायों में गठित स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति, रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन, गैर सरकारी संगठनों, व्यापार मण्डल एवं अन्य हित धारकों (**Stakeholders**) के सहयोग से लोगों के मध्य फेस मास्क लगाने, साबुन से हाथ धोने एवं दो गज की दूरी बनाये रखने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जाय।
- जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की सहायता से फेस मास्क न पहनने एवं सार्वजनिक स्थलों पर थूकने (**Spitting**), गंदगी फैलाने के संबंध में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर पूर्व मे निर्गत संगत शासनादेशों के अनुसार जुर्माना वसूलने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

4. कोविड हेल्प डेस्क को सक्रिय किये जाने के संबंध में

- स्थानीय निकायों में कोविड–19 हेल्प डेस्क को सुचारू रूप से संचालित किया जाय। हेल्प डेस्क पर कार्यालय में आने वाले लोगों का **Thermal Scanner** से जॉच कर उनका विवरण रजिस्टर में नोट किया जाय तथा यदि किसी में कोविड–19 के लक्षण परिलक्षित हों तो उसकी सूचना कोविड–19 हेतु जनपद में स्थापित कन्ट्रोल रूम को तत्काल दें।

5. अनुश्रवण

- निकायों द्वारा उपर्युक्तानुसार की गयी कार्यवाही के संबंध में निर्धारित प्रारूप (प्रारूप–'क' एवं 'ख' संलग्न) पर सूचना प्रत्येक सप्ताह के अंत में निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ को (Gooogle link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxV3dhSEasE-1qDRySeR8PScc NQw9DmEkIlAwcqPOyPWw/viewform?vc=0&c=0&w=1) पर उपलब्ध कराया जाय। निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त सूचना को संकलित कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2– निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय, उ0प्र0।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।
7-4-21

प्रारूप–क

साप्ताहिक रिपोर्ट दिनांक तक

नगरीय निकायों में साफ–सफाई व्यवस्था एवं विसंक्रमण की कार्यवाही की संकलित रिपोर्ट

क्र0सं0	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	वार्ड का नाम	कन्टेनमेंट जोन की संख्या	कन्टेनमेंट जोन में परिवारों की संख्या	कन्टेनमेंट जोन में कोविड–19 के धनात्मक रोगियों की संख्या	कन्टेनमेंट जोन में निस्तारित ठोस अपशिष्ट की मात्रा	साप्ताहिक दिवसों शनिवार एवं रविवार को विसंक्रमित किये गये स्थलों /बाजारों एवं अन्य स्थलों की संख्या	सप्ताह में विसंक्रमित किये गये कन्टेनमेंट जोनों एवं अन्य स्थलों की संख्या	विशेष दिवस (शनिवार व रविवार) में प्रयुक्त सोडियम हाईपो क्लोराईड घोल ब्लीचिंग पाउडर, मैलाथियान डस्ट और चूना, इत्यादि की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रारूप–ख

साप्ताहिक रिपोर्ट दिनांक तक

नगरीय निकायों में साफ–सफाई व्यवस्था एवं विसंक्रमण की कार्यवाही की संकलित रिपोर्ट

क्र0सं0	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	घनी बस्तियों की संख्या	निकाय में वार्डों की संख्या	निकाय में गठित निगरानी समितियों की संख्या	निगरानी समिति मेंसम्मिलित कुल सदस्यों की सख्या	निगरानी समितियों को उपलब्ध कराये गये थर्मल स्कैनर/पल्स ऑक्सीमीटर की संख्या	निकाय में पब्लिक एड्रेस सिस्टम (पी0ए0 सिस्टम) की संख्या	संक्रमित परिवारों के घरों पर चस्पा किये गये फ्लायर की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

संख्या–1031 /पाँच–5–2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5

लखनऊ:दिनांक 01 मई, 2020

विषयः **कोविड–19 के दृष्टिगत प्रवासी कामगारों के प्रदेश में लौटने पर क्वारेन्टाईन करने के सम्बन्ध में निर्देश/प्रोटोकाल।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों के लौटने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनके द्वारा राज्य में संक्रमण न फैले इस दृष्टिकोण से निम्नलिखित प्रोटोकॉल निर्धारित किया जा रहा है:–

प्रवासी कामगारों के वापसी पर प्रबन्धन प्रोटोकॉल

1. प्रवासियों के आगमन के पश्चात जिला प्रशासन के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग करायी जाएगी। स्क्रीनिंग में किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर इन्हें फैसेल्टी क्वारन्टाइन में रखा जायेगा तथा जांच करवाने के पश्चात यदि वह संकमित पाया जाता है तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जायेगा। जो लक्षण वाले व्यक्ति संकमित नही पाये जाते हैं, उन्हें 7 दिनों तक फैसेल्टी क्वारन्टाइन में रखकर पुनः परीक्षण करवाया जायेगा। यदि सात दिनों के बाद भी वह संकमित नही पाया जाता है तो उन्हें अगले 14 दिनों के लिए होम क्वारन्टाइन में भेज दिया जायेगा। बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को 21 दिन के होम क्वारन्टाइन में भेजा जायेगा।

2. जनपद में पहुँचने के पश्चात, जिला प्रशासन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक प्रवासी की स्क्रीनिंग के साथ–साथ पता एवं मोबाइल नम्बर सहित लाइन–लिस्टिंग तैयार किया जाए।

3. जनपद में पहुँचने के पश्चात प्रवासी व्यक्तियो के जनपद में स्थापित आश्रय स्थल में आगमन पर आश्रय स्थल प्रभारी द्वारा इन व्यक्तियों के नाम, पता व मोबाइल नम्बर आदि सम्पूर्ण विवरण संलग्नक–क पर रखे प्रारूप के अनुसार अंकित करने हेतु

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

अनिवार्य रूप से एक रजिस्टर बनाया जाय। इस रजिस्टर में आश्रय स्थल में आने वाले एवं आश्रय स्थल से अपने गृह निवास को अवमुक्त किये जाने वाले प्रत्येक प्रवासी का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाय तथा खाद्य सामग्री किट देते हुए उन्हें अपने गंतव्य हेतु प्रस्थान करवाया जाय। इस रजिस्टर पर इन प्रवासियों के हस्ताक्षर भी प्राप्त करवायें जाये। बिना पूर्ण विवरण प्राप्त किये किसी भी व्यक्ति को आश्रय स्थल से न जाने दिया जाय।

4. जनपद के आश्रय स्थलों में पूर्व से रखे गये ऐसे सभी प्रवासी व्यक्तियों को भी सम्मलित किया जाय जो इसी प्रदेश के किसी दूसरे जनपद के स्थायी निवासी है और वह अपने गृह निवास स्थान/जनपद को जाना चाहते हैं। आश्रय स्थल प्रभारी द्वारा रजिस्टर में अंकित किये गये प्रवासियों के विवरण को प्रतिदिन कम्प्यूटर पर फीड कराया जाय और उसे राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट rahatup.in पर शतप्रतिशत फीड कराया जाय।

5. प्रदेश के बाहर से आने वाले ऐसे श्रमिकों/कामगारों, जिनके घरों में होम क्वारेन्टाईन की व्यवस्था नहीं है, को इस्टीटूयशनल क्वारेन्टाईन में ही रखा जाय।

6. आश्रय स्थल/ क्वारन्टाइन कैम्प में आने वाले व्यक्तियों का श्रम विभाग द्वारा उसी आश्रय स्थल/ क्वारन्टाइन कैम्प में पंजीकरण किया जायेगा। पंजीकरण के समय श्रमिकों के कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल होने का सम्पूर्ण विवरण भी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर भरकर सुरक्षित रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में श्रम विभाग द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश एवं प्रारूप निर्गत किये जायेगे।

7. सामुदायिक सर्विलान्स तथा सहयोग के लिए जनपद प्रशासन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समिति एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जाए।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति का नेतृत्व ग्राम–प्रधान के द्वारा किया जाएगा तथा इस समिति में आशा/आंगनबाड़ी/चौकीदार/युवक मंगल दल के प्रतिनिधि तथा अन्य सदस्य होंगे। इसी प्रकार से, शहरी क्षेत्र में संबंधित सभासद के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। मोहल्ला निगरानी समिति में आशा/सिविल डिफेन्स/आर0डब्लू0ए0 के प्रतिनिधि/नगर निकाय के क्षेत्रीय कार्मिक तथा अन्य सदस्य होंगे एवं नगर विकास विभाग के द्वारा प्रवासियों का सर्विलान्स एवं सहयोग किया जाएगा। समिति की संरचना जिलाधिकारी के द्वारा तय की जाएगी।

9. जिला प्रशासन के द्वारा प्रवासियों की सूची को ग्राम सभावार/वार्डवार स्वास्थ्य विभाग/पंचायती राज/नगर विकास विभाग को इस निर्देश के साथ दी जायेगी कि उक्त सूची को ग्राम निगरानी समिति/मोहल्ला निगरानी समिति से साझा किया जाए।

Scanned by CamScanner

10. आशा कार्यकत्री द्वारा प्रवासियों की सूचना संलग्नक–1 में दिये गये प्रारुप पर भरी जायेगी (शासनादेश सं0 741/पांच–5–2020, दिनांक 30.03.2020 प्रवासियों की लाईन–लिस्टिंग का प्रारुप)। यह सूची ब्लाक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर (BCPM) को प्रतिदिन नियमित रुप से उपलब्ध कराई जायेगी, जिनके द्वारा पोर्टल पर सूचना इन्ट्री की जायेगी।

11. प्रवासियों के द्वारा 21 दिनों की होम क्वारेन्टीन अवधि के दौरान निम्नलिखित सावधानियॉ अपनाया जाना अपेक्षित है–

a- क्वारेन्टाईन किया गया परिवार इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जहां तक सम्भव हो प्रवासी अपने घरों में पृथक कक्ष में रहेगा।

b- क्वारेन्टाईन किये गया प्रवासी अनिवार्य रुप से मास्क/गमछा/दुपटटा से मुंह एवं नाक को ढकेंगे।

c- हाथों को साबुन व पानी से धोने की आदत को बढ़ावा दिया जायेगा।

d- क्वारेन्टाईन किये गये प्रवासी के घर में किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

e- क्वारेन्टाईन किये गये प्रवासी के घर के मात्र एक अन्य सदस्य को ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद–फरोख्त के लिए घर से बाहर जाने की अनुमति होगी। इस व्यक्ति के द्वारा घर से बाहर निकनले एवं वापस आने के समय हाथों को सैनीटाईज़/साबुन से हाथ धोया जाएगा तथा इस बीच मास्क/गमछा/दुपटटा का प्रयोग अनिवार्य रुप से किया जायेगा। निगरानी समिति के द्वारा इस कार्य हेतु लगभग 1 घण्टे की अवधि निश्चित की जायेगी तथा उपरोक्त नियमों के अनुपालन की निगरानी की जायेगी।

f- आशा के द्वारा इस परिवार में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलायें एवं मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग जैसे रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को क्वारेन्टाईन किये गये व्यक्ति से पृथक रहने की सलाह दी जायेगी।

g- परिवार के किसी भी सदस्य अथवा क्वारेन्टाईन किये गये प्रवासी में कोविड–19 के लक्षण प्रारम्भ होते ही इसकी सूचना आशा कार्यकत्री को तत्काल दी जायेगी, जिससे आशा कार्यकत्री अग्रिम कार्यवाही कर सके।

12. आशा कार्यकत्री द्वारा घर के बाहर उचित स्थान पर एक क्वारेन्टाईन फ्लायर लगाया जायेगा, जिससे उस घर के क्वारेन्टाईन के अन्तर्गत होने का संकेत मिल सके (संलग्नक–ख)। उसके द्वारा परिवार के सदस्यों का भी उल्लेख किया जायेगा तथा क्वारेन्टाईन प्रारम्भ तथा समाप्त होने की तिथि न मिटने वाली स्याही इत्यादि से अंकित की जायेगी। परिवार के सदस्यों को निगरानी समिति के सदस्यों का दूरभाष संख्या उपलब्ध कराया जायेगा।

-4-

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

13. प्रवासी के पास स्मार्ट फोन होने पर उसे 'आरोग्य सेतु' एप डाउनलोड करवाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 11:00 बजे सुबह अपनी सूचना अपडेट करनी होगी।

14. आशा कार्यकत्री द्वारा ऐसे प्रत्येक क्वारेन्टाईन किये गये घरों में तीन दिन में एक बार अनिवार्य रुप से भ्रमण कर परिवारीजनों में खांसी, बुखार एवं सांस लेने में कठिनाई लक्षणों के प्रकट होने के सम्बन्ध में जानकारी ली जायेगी तथा क्वारेनटाईन के सम्बन्ध में पुनः संवेदीकरण किया जायेगा। भ्रमण के समय आशा कार्यकत्री के द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग तथा साफ–सफाई के प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जायेगा:–

- भ्रमण के समय मास्क/गमछा/दुपटटा आदि का प्रयोग तथा परिवार के सदस्यों से दो गज की दूरी बनाये रखना।
- भ्रमण से पूर्व एवं उपरान्त हाथों को साबुन से धोना एवं उपलब्धता के अनुसार अल्कोहलयुक्त सैनीटाईजर का प्रयोग करना।
- भ्रमण के समय दरवाजे/दरवाजों के हैंडिल अथवा बार–बार छूये जाने वाले अन्य सतहों को न छूना तथा परिवार के सदस्यों को दूरभाष अथवा आवाज़ देकर बुलाना।

15. यदि प्रवासी व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्य को बुखार अथवा खांसी के लक्षण प्रकट होते हैं तो आशा इसकी सूचना प्रभारी चिकित्साधिकारी को देंगी तथा पैरासीटामॉल की गोली देकर तीन दिनों के लिए व्यक्ति को घर पर ही क्वारेन्टाईन में रहने की सलाह देंगी। यदि लक्षण बढ़ते हैं तथा सांस लेने में तकलीफ होती है तो निगरानी समिति के सदस्य/आशा इसकी सूचना तत्काल प्रभारी चिकित्साधिकारी को देंगी तथा व्यक्ति को 108 एम्बुलेन्स से निकटस्थ क्वारेन्टीन फैसिलिटी में भेजने की व्यवस्था करेंगी। क्वारन्टाइन फैसिलिटी में इनका तत्काल परीक्षण कर यथा–आवश्यक एल–1/एल–2/एल–3 में भर्ती की कार्यवाही की जायेगी।

16. यदि परिवार द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो पड़ोसियों अथवा ग्राम प्रधान के द्वारा जिला प्रशासन को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाएगा। एक बार से अधिक उल्लंघन करने वाले प्रवासी को फेसिलिटी क्वारेन्टाइन में भेज दिया जाएगा।

17. निगरानी समिति के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवार को समस्त राजकीय सुविधाओं एवं राहत योजनाओं का लाभ मिलता रहे। यदि परिवार को सामाजिक विरोध अथवा कठिनाई का सामना करना पड़े तो वे निगरानी समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करेंगे।

18. 21 दिनों की क्वारेन्टाईन अवधि पूरी करने पर आशा कार्यकत्री वस्तुस्थिति की सूचना बी0सी0पी0एम0 को देंगी एवं घर पर लगे फ्लायर को हटायेंगें।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
6.05.2020
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

पृ0संख्या– /पाँच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
10. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
11. निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

1.5.2020
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

6/05/2020

Scanned by CamScanner

संख्या–1116/पॉच–5/2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ; दिनांक:17मई, 2020

विषय–कोविड–19 हेतु गठित ग्राम/मोहल्ला निगरानी समिति के कार्य एवं दायित्व के लिए दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा अनुभाग–5 के पत्र संख्या–1031/पॉच–5–2020, दिनॉक 01.05.2020 में प्रदेश के सभी जनपदों में कोविड–19 के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मोहल्ला/ग्राम निगरानी समिति गठित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे प्रभावी सामुदायिक सर्विलान्स, सामुदायिक जागरूकता, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित किया जा सके तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाया जा सके। निगरानी समितियों का गठन जनपदों के द्वारा किया जा चुका है। यह आावश्यक है कि इनके कार्यो का निरन्तर अनुश्रवण किया जाए तकि यह समितियॉ सक्रिय रहकर संक्रमण के नियंत्रण में अपना पूरा योगदान प्रदान करें। उक्त हेतु समितियों के कार्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नवत् हैं:–

मोहल्ला/ग्राम निगरानी समिति के कार्य एवं दायित्व :–

1. ग्राम प्रधानों/सभासदों द्वारा संबन्धित ग्राम व मोहल्लों में ग्राम/मोहल्ला निगरानी समिति में सदस्यों को सम्मिलित कर पूर्ण किया जाय।
2. समिति के समस्त सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नम्बर की सूची सभी ग्राम प्रधानों एवं सभासदों के पास उपलब्ध होनी चाहिए।
3. ग्राम प्रधान/सभासद द्वारा ग्राम/मोहल्ला निगरानी समिति के सभी सदस्यों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए उनके कार्यो तथा उत्तरदायित्वों के बारे में अवगत कराना।
4. निगरानी समिति द्वारा कोविड–19 से बचाव हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों/निर्णयों से सामान्य जनमानस को भिज्ञ कराना तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराना।
5. मोहल्ला/गांव में किसी बाहरी व्यक्ति के आने की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग को प्रदान करना।
6. प्रभावित क्षेत्र में घर–घर जाकर सम्पर्कों की खोज करने में तथा सर्विलान्स टीम की सहायता करना।
7. क्षेत्र में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों जैसे उच्च जोखिम वर्ग (high risk group) वाले सदस्य पर विशेष ध्यान देना।

8. बिना स्क्रीनिंग के सीधे ही अन्य राज्यों/जनपदों से वापस आने वाले प्रवासियों का पंजीकरण एवं उनकी स्क्रीनिंग सुनिश्चित कराना।
9. प्रवासियों और उनके परिवार द्वारा निर्धारित अवधि तक होम–क्वारेन्टाइन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराना तथा होम–क्वारेन्टाइन हेतु यथासंभव पृथक कमरे का प्रयोग सुनिश्चित कराना।
10. क्वारेन्टाइन किए गए प्रवासी के घर से केवल एक व्यक्ति को आवश्यक सामग्रियों को लेने हेतु घर से बाहर निकलने की अनुमति प्रदान करना। बाहर निकलते समय इस व्यक्ति द्वारा समस्त आवश्यक सावधानियॉ अपनाई जाएंगी।
11. निगरानी समिति द्वारा परिवार से फोन पर नियमित सम्पर्क करके उनको क्वारेन्टाइन अवधि को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनको पूर्ण सहयोग प्रदान करना, जिससे परिवार स्वयं को अकेला एवं असहाय न समझे तथा पड़ोसियों से भी उस परिवार का सहयोग करने हेतु जागृत करना।
12. प्रवासियों के घरों पर होम–क्वारेन्टाइन फ्लायर/पोस्टर का लगाया जाना सुनिश्चित करना।
13. क्वॉरेन्टाइन किए गए परिवारों तक सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करना।
14. सार्वजनिक हैण्ड–पम्प में प्राथमिकता के आधार पर साबुन की व्यवस्था करना।
15. क्वॉरेन्टाइन की अवधि में इन प्रवासियों और उनके परिवारों को संबल प्रदान करना तथा उनसे किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।
16. होम क्वॉरेन्टाइन किये गए प्रवासी मजदूर अथवा अन्य जरूरतमंद लोग जैसे वृद्ध, अशक्त, गर्भवती महिला, गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जिसकी देखभाल के लिए कोई न हो अथवा ऐसे व्यक्ति जिनके घरों में क्वारेन्टाइन किए जाने की पृथक जगह न हो, ऐसे लोगों के लिए ग्राम–पंचायत में अलग से क्वारेन्टाइन, राशन तथा साबुन आदि आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर उनकी देखभाल का उचित प्रबंध करना।
17. क्वॉरेन्टाइन किए गए व्यक्तियों सहित क्षेत्र की आम जनता को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने एवं इसका सक्रिय प्रयोग करने हेतु प्रेरित करना।
18. होम–क्वॉरेन्टाइन के नियमों का उल्लंघन करने की सूचना जिला प्रशासन को प्रदान करना।
19. आम जनमानस को गमछा/अंगोछा/दुपट्टा/घर पर निर्मित मॉस्क का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करना।
20. आम जनमानस में नियमित रूप से हाथों को धोने की आदत डालने हेतु प्रेरित करना।
21. दो व्यक्तियों के बीच कम से कम दो गज की दूरी रखने का संदेश प्रसारित करना।
22. सामाजिक/धार्मिक/शादी समारोहों/शोक सभाओं आदि में प्रोटोकॉल के अनुसार न्यूनतम व्यक्तियों को प्रतिभाग करने हेतु सहमत करना।
23. सार्वजनिक स्थानों, गलियों, सार्वजनिक पेयजल स्रोतों तथा क्वारेन्टाइन किए गये घरों के आस–पास विसंक्रमण सुनिश्चित कराना।
24. कोविड–19 से सम्बन्धित जोखिम और उसके सुरक्षात्मक उपायों के विषय में समुदाय में एलान/डुगडुगी के माध्यम से जागरूकता सुनिश्चित करना।
25. कोविड–19 से सम्बन्धित किसी भी घटना की सूचना तत्काल जनपदीय नियंत्रण–कक्ष या टोल फ्री नम्बर **1800–180–5145** को प्रदान करना।

26. बाहर से आए समस्त व्यक्तियों को 21 दिनों तक होम क्वारेन्टाइन में रखना सुनिश्चित करना तथा 21 दिन पूरा होने के बाद यदि कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होता है तब उन्हें क्वारेन्टाइन मुक्त करना।
27. होम क्वारेन्टाइन समाप्त होने पर फ्लायर को घर से हटाना एवं ग्राम/मोहल्ले में इस बात का प्रचार करना कि उक्त व्यक्ति/परिवार का होम क्वारेन्टाइन समाप्त हो गया है।

ग्राम/मोहल्ले के भ्रमण के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सावधानियॉ बरती जाएंगी :-

- भ्रमण के समय मास्क, गमछा अथवा दुपट्टा आदि का प्रयोग तथा परिवार के सदस्यों से कम से कम दो गज की दूरी बनाए रखना।
- भ्रमण से पूर्व एवं उपरान्त हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना।
- भ्रमण के समय दरवाजे अथवा दरवाजों के हैंडल अथवा बार-बार स्पर्श की जाने वाली अन्य सतहों को स्पर्श न करना तथा परिवार के सदस्यों को फोन से अथवा आवाज देकर सुरक्षित खुले स्थान पर वार्ता हेतु बुलाना।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

17.5.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1116 (1)/पॉच-5-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, संचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।